फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

अर्जुनसिंह वगै.
बनाम
गोरधनसिंह वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट

न. 02, सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री श्रवणकुमार चौधरी एवं केवियटर अधिवक्ता श्री शाले मोहम्मद उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 43/2021 बउनवान अर्जुनसिंह वगै. बनाम गोरधनसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अडाणी ग्रीन एनर्जी सेशन लिमिटेड जरिये देवेश शर्मा एरिया मैनेजर ने दिनांक 07.02.2022 को केवियट पेश की तथा दिनांक 08.02.2022 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी वास्ते बनाने पक्षकार उतरदातागण पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अडाणी कम्पनी द्वारा मौजा खुहडा के खेत खसरा संख्या 175/14 रकबा 500 बीघा भूमि में से 24.2836 हैक्टयर भूमि को दिनांक 28.06.2021 को लीज पर 29 वर्ष 11 माह के लिए लिया गया तथा उक्त लीज डीड के अनुसार ही पक्षकारान के कहे अनुसार अडाणी कम्पनी का वादग्रस्त खेत की लीज अनुसार कब्जा है तथा उसके द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः प्रार्थी/आवेदक हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने से उतरदाता के रूप में संयोजित किया जावे। प्रार्थी को सुनने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है यदि आवेदक का कोई हित अपीलाधीन आराजी में है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पेश करे। अपील के स्तर पर आवेदन पेश करना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदन खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि के सुस्थिापित सिद्धांतों के विपरित होने से विधि की दृष्टि में दूषित है। उतरदाता संख्या 01 व हाथीसिंह ने अपीलांट को उनके हकुकों से वंचित रखने के लिये बिना अपीलांट व उनके पिता को सुने बिना अपीलांट को सूचना दिये तथा राज्य सरकार को पक्षकार बनाये गलत रूप से खेत खसरा संख्या 14 में 500 बीघा भूमि अपने अकेले के नाम करवा ली, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत् 2012 में लागु हुआ, उससे पूर्व से लगातार आज दिन तक इस भूमि पर अपीलांट एवं उनके पिता क संयुक्त रूप से उक्त भूमि 500 बीघा के 1/2 हिस्से पर सहखातेदार के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ संयुक्त रूप कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट एवं उरतदाता संख्या	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर